



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या-1957-पें0एवंआर0-28 / पाकालि / 2024-37-पें0एवंआर0 / 15(TC-2024), दिनांक 05.09.2024

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी /
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ /
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा /
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /
केस्को-कानपुर।

विषय : कारपोरेशन (मुख्यालय-शक्ति भवन), लखनऊ, प्रत्येक डिस्कॉम (मुख्यालय) तथा केस्को (मुख्यालय), कानपुर पर त्रैमासिक पेंशन अदालत माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन (मु0) के पत्र संख्या-1738-पें0एवंआर0-28/पाकालि/24, दिनांक 09.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में कारपोरेशन (मुख्यालय-शक्ति भवन), लखनऊ, प्रत्येक डिस्कॉम (मुख्यालय) तथा केस्को (मुख्यालय), कानपुर पर निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी के तत्वाधान में त्रैमासिक पेंशन अदालत, (मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर) माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

अतएव अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 महोदय के उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि माह सितम्बर, 2024 के द्वितीय शनिवार, दिनांक 14.09.2024 को डिस्कॉम (मुख्यालय) पर निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी के तत्वावधान में प्रचार-प्रसार के साथ पेंशन अदालत आयोजित कराने का कष्ट करें, जिससे कि पेंशन अदालत में उपस्थित हुये पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण, विद्यमान नियमों के अन्तर्गत पेंशन अदालत के माध्यम से कराया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

24/09/24
05/09/24

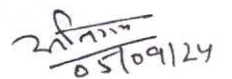
(ए0के0 निगम)

संयुक्त सचिव (अरा0)

क्रमशः.....2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कारपोरेशन (मु०) शक्ति भवन, लखनऊ पर त्रैमासिक पेंशन अदालत के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 के द्वितीय शनिवार, दिनांक 14.09.2024 को आयोजित होने वाली पेंशन अदालत के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- समस्त निजी सचिव सम्बद्ध निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 7- समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 8- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 9- लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 11- सहायक अभियन्ता (मुख्यालय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर, भुइयन, लखनऊ।
- 13- महासचिव, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ०प्र०), 86/92-ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
- 14- महासचिव, पावर सेक्टर मुख्यालय पेंशनर्स कल्याण समिति, सी-19, विनय नगर, पोस्ट-मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ-226023
- 15- कट फाइल।



(ए०के०निगम)
संयुक्त सचिव (अरा०)